भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में असममित संघवाद का महत्त्व

मोनिका चोपड़ा
शोधार्थी - राजनीतिक शास्त्र
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ (उत्तर प्रदेश)

प्रोफेसरसुनीता तिवारी
प्रिंसिपल महिला महाविद्यालय
बस्ती (उत्तर प्रदेश)

सारांशः–भारत क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाना स्वभाविक था और भारतीय संविधान के द्वारा ऐसा ही किया गया। लेकिन भारत के संघीय शासन में एकात्मक शासन के कुछ लक्षणों को भी अपनाया गया है जिस कारण केंद्र सरकार के पास कुछ स्थितियों में अधिभावी शक्तियाँ है। इस व्यवस्था को अर्धसंघीय, असममित संघवाद के रूप में वर्णित किया जा सकता है।[1]भारत को असममित संघ की आवश्यकता है क्योंकि भारत में कई धर्मों और जातियों वाले लोग रहते हैं और असममिता संघ भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुराष्ट्रीय देश के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। इस शोधपत्र का फोकस इस बात की जांच करना है कि भारत में असममित संघवाद का क्या महत्त्व है। यह भारतीय संघवाद की विशेष विशेषताओं की जांच करता है और राज्यों के बीच इसके वितरण का आकलन करता है।

परिचयः–संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों को सरकार के दो या दो से अधिक स्तरों जैसे केन्द्र और राज्यों के बीच विभाजित किया जाता है। संघवाद एक बड़ी राजनीतिक इकाई के भीतर विविधता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के समायोजन की अनुमति देता है। भारतीय संविधान कुछ एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है। इसे अर्ध-संघीय या असममित संघ भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फेडरेशन और यूनियन दोनों के तत्व शामिल होते हैं।[2]

असममिता संघवाद का अर्थः- असममित संघवाद का अर्थ है एकसंघ का गठन करने वाली इकाईयों के बीच राजनीति, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में असमान शक्तियों पर आधारित संघवाद, असममित संघ में एक विशेष राज्य को स्वावलंबन की एक डिग्री प्राप्त हो सकती है जो दूसरे राज्य को नहीं है। इसमें विभिन्न घटक राज्यों के पास अलग-अलग शक्तियाँ होती हैं। एक या अधिक राज्यों को दूसरों की तुलना में काफी अधिक स्वतंत्रता होती है हालांकि उनकी संवैधानिक स्थिति समान होती है।[2] यह सममित संघवाद के विपरीत है, जहां घटक राज्यों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता है। असममित संघवाद को तब अपनाया जाता है जब एक से अधिक घटक इकाइयाँ जातीय, भाषीय या सांस्कृतिक अंतर के परिणामस्वरूप दूसरों से काफी भिन्न जरूरतें महसूस की जाती हो।

प्रकारः-

असममित संघवाद को दो प्रकार के समझौते या व्यवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रकार विधायी शक्तियों केन्द्रीय संस्थानों में प्रतिर्निधित्व और संविधान में निर्धारित अधिकारों और दायित्वों में अंतर को हल करता है। इस प्रकार की विषमता को वैधानिक विषमता कहा जा सकता है। दूसरा प्रकार उन समझौतों को दिखाता है जो राष्ट्रीय नीति से बाहर निकलते हैं और विशिष्ट प्रांतों के साथ द्विपक्षीय और तदर्थ सौदे करते हैं, जिनमें से कोई भी संविधान में शामिल नहीं है। इस प्रकार की विषमता को वास्तविक विषमता के रूप में जाना जाता है। कनाडाई महासंघ इनके संयोजन का उपयोग तरता है, जो इसके विषम चरित्र का निर्माण करता है।[3]

भारतीय संघवाद की एक आंतरिक विशेषता यह है कि इसे जहां आवश्यक हो वहां असममित बनाया गया है।[3]

भारतीय संघवाद की असममिता विशेषताएँः-

संवैधानिक प्रावधानः- भारतीय संविधान में एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की व्यवस्था की गई है। इसमें से कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैः-

1. **अनुच्छेद[3]:-**केन्द्र राज्य के नाम और सीमाओं में एकतरफा बदलाव कर सकता है।
2. अनुच्छेद 352 और 356 :- संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था है कि यदि राष्ट्रपति को अनुभव हो कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शक्ति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है तो यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आंशका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता है।[4]

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 एक निश्चित राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। इस अनुच्छेद के तहत, यदि कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ है, तो केन्द्र सरकार राज्य मशीनरी पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है। राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य राज्य सरकार को निलंबित करना और राज्य पर सीधे केंद्र सरकार का शासन लागू करना है।[5]

अनुच्छेद 248 :- संसद के पास समवर्ती सूची या राज्य सूची में शामिल नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की विशेष शक्ति है।[6]

क्षैतिज विषमताः-

1. अनुसूची4:- राज्य सभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व असमान है। राज्य सभा में उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं जबकि अरूणाचल प्रदेश में केबल 1 सीट है।

2. भाग VIII :- भारतीय संविधान के भागVIII में केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है जिनकी संघीय व्यवस्थाएँ राज्यों की तुलनामें भिन्न है।

अनुसूची - 5 :- संविधान की पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के साथ-साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है।

अनुसूची -6 :-संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है, ये स्वायत्त जिले और स्वायत क्षेत्र बनाते हैं।

अनुच्छेद 371 और अन्यः- अनुच्छेद 371 ए से लेकर अनुच्देद 371जेतक यह अनुच्छेद महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड आदि राज्यों के लिए विशेष प्रावधान देता है।[7]

अनुच्छेद 371 ए :- यह नागालैंड राज्यों के लिए एक विशेष प्रस्ताव प्रदान करता है जिसमें विधायिका और नागा लोगों के लिए उनके पारंपरिक और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए एक पृथक्करण शामिल है।

अनुच्छेद 371-बी :- यह असम राज्य से संबंधित है और राज्य की विधानसभा में एक क्षेत्रीय समिति की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।

अनुच्छेद 371-सीः-यह मणिपुर में आदिवासी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्योंकी एक समान समिति के गठन का प्रावधान करता है। इसमें राज्यपाल को राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक या ''अनुरोध पर '' रिपोर्ट देने का भी प्रावधान है।

अनुच्छेद 371-डीः- यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसे 1973 में संविधान के 32वें संशोधन के रूप में शामिल किया गया था। यह रोजगार और शिक्षा में स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है।

अनुच्छेद 371-ईः- अनुच्छेद 371-ई में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसदीय विधि प्रस्तावित की जा सकती है।

अनुच्छेद 371 एफः-अनुच्छेद 371-एफ भारत के संविधान में एक विशेष प्रावधान है जो भारत के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित राज्य सिक्किम को विशिष्ट दर्जा प्रदान करने के लिए बनाया गया था। सिक्किम 1975 तक एक स्वतंत्र राज्य था, जब यह भारत का 22 वां राज्य बन गया। भारत में विलय के बाद सिक्किम की विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संविधान में 371 एफ को शामिल किया गया है।

अनुच्छेद 371-जी : यह निजरिम राज्य के लिए विशेष प्रस्ताव प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि संसद का कोई भी अधिनियम निम्नलिखित संबंध में नहीं है:-

i) मिजो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं

ii) मिजो प्रथागत कानून और प्रक्रिया

iii) नागरिक और आपराधिक न्याय का प्रशासन, जिसमें निजी प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय शामिल है।

iv) भूमि का स्वामित्व एवं हस्तातंरण

अनुच्छेद 371 एचः–यह अरूणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रस्ताव प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 55वें संवैधानिक संशोशन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया। अरूणाचल प्रदेश में राज्यपाल को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की विशेष जिम्मेदारी दी गई।

अनुच्छेद 371–आईः– यह भारत के संविधान 1950 का हिस्सा नहीं था। इसे गोवा राज्य के निर्माण के बाद संविधान में (56वां संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 371–जेः– अनुच्छेद 371–जे कर्नाटक राज्य के हैदराबाद – कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 98 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 371–जे के तहत राष्ट्रपति को यह प्रदान करने का अधिकार है कि कर्नाटक के राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होगीः–

1) हैदराबाद – कनार्टक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना
2) क्षेत्र में विकासात्मक व्यय के लिए धन का न्यायसंगत आवंटन
3) क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार के पदों में आरक्षण।
4) क्षेत्र से संबंधित छात्रों के लिए क्षेत्र में शैक्षिक और व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण।[9]

3) राजकोषीय विषमताः– वित्त आयोग केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है। केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2021–26 अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है।

4) केन्द्र प्रायोजित योजनाएंः–केन्द्र प्रयोजित योजनाएं वे योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा कार्यन्वित की जाती हैं लेकिन एक निर्धारित हिस्सेदारी के साथ केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित होती है। यह धनाराशि राज्यों द्वारा 60:40 या 90:10 के अनुपात में वहन की जाती है।

विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों के लिए, केन्द्र प्रायोजित योजना में आवश्यक धनराशि का 90 प्रतिशत का भुगतान करता है क्योंकि सामान्य क्षेणी के राज्यों के मामले में यह 60 प्रतिशत है जबकि शेष धनराशि राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है।[10]

भारत में असममित संघवादः–

1. जम्मू और कश्मीर से संबंधित विशेष परियोजनाः–

भारत में असममित संघवाद का सबसे प्रमुख उदाहरण पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर को दिया गया था। अनुच्छेद 370, जो एक प्रोटोटाइप प्रोविजन था, जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ के अंदर एक प्रोटोटाइप प्रोविजन प्रदान किया गया था। इस विशेष प्रावधान ने राज्य को अपना संविधान और ध्वज रखने की अनुमति दी, जिससे भारतीय सिद्धांत केवल विशिष्ट मामलों तक सीमित हो गया। यह भारत के बाकी हिस्सों के विपरीत है जहाँ केंद्र के पास अधिक जिम्मेदारियों के साथ अवशिष्ट

शक्ति है। ये विशेष शक्तियाँ जम्मू और कश्मीर की अनूठी विशेषताओं के कारण आती है। इसकी आबादी का एक विविध समूह है जिसमें कश्मीर घाटी की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम हैं।

हालांकि अगस्त 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को विभाजित करके और राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया।[11]

2. पूर्वोतर राज्यः–असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त हैं। यह उन्हें जिला परिषदों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करता है।

3. दिल्ली और पांडिचेरीः– असममित संघवाद सीधे दिल्ली या पांडिचेरी पर उसी तरह लागू नहीं होता है, जिस तरह यह भारत के अन्य राज्यों पर लागू होता है। हालांकि, दिल्ली और पांडिचेरी, दोनों में अद्वितीय प्रशासनिक संरचनाएं हैं जो उन्हें नियमित राज्यों से अलग कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां प्रदान करती हैं।

दिल्ली एक विशेष दर्जा वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के रूप में नामित किया गया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991 और उसके बाद के संशोधन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल और दिल्ली के निवासियों द्वारा निर्वाचित विधानसभा के साथ एक अद्वितीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करते हैं। दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि और सेवाओं से सम्बन्धित मामलों पर अधिकार नहीं है। ये मामले उपराज्यपाल के नियंत्रण में हैं जिससे निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के कार्यालय के बीच कभी-कभ्यी टकराव होता है। अनुच्छेद 239 ए ए :- अनुच्छेद 239 ए ए राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए एक अनूठी व्यवस्था का प्रावधान करता है। यह संविधान की पहली अनुसूची के तहत एक राज्य नहीं है, फिर भी सातवीं अनुसूची में राज्य और समवती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता हैं।

2. पुडुचेरी :- पुडुचुरी एक केंद्र सासित प्रदेश है जिसकी अपनी विधानसभा और मंत्रि परिषद् है। केन्द्र सासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963, पुडुचेरी के लिए एक विशेष प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान करता है जिससे उसे अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद् रखने की अनुमति मिलती है। पुडुचेरी की विधानसभा को भारतीय संविधान की सातवींअनुसूची की राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है, परन्तु सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से सम्बन्धित मामलों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है।

दिल्ली और पुडुचेरी को असममित संघवाद के तहत विशेष दर्जा वाले राज्यों के समान स्वायत्तता का स्तर नहीं प्राप्त है, उनके पास अद्वितीय प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं जो उन्हें भारत के अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से अलग कुछ अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान करती हैं।[13]

भारत में असममित संघवाद का महत्त्वः-

1) सुरक्षित अधिकारः-

संविधान में ये विशेष प्रावधान मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में मदद करते हैं और हमारी सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त असमानताओं की भरपाई करते हैं।

2) भारतीय समाज की बहुलता :-भारत में कई धर्मों और भाषाओं वाला एक विविध और बहुलवादी समाज है और असममित संघवाद भारत जैसे बहुसांस्कृतिक और बहुराष्ट्रीय देश के लिए एक आवश्यक ढ़ांचा है।

3) समायोजन और एकीकरण :-असममित संघवाद एक ऐसी प्रणाली है जो सांझा शासन के ढांचे के भीतर स्व-शासन की अनुमति देती है और यह भारित और विभेदित समानता के सिद्धांत का पालन करती है।

4) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा :-असममित संघवाद उन क्षेत्रों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करती हैं। जिन क्षेत्रों में कुछ अल्पसंख्यक समूह केंद्रित है।

5) संघवाद को मजबूत बनाना :-असममितसंघवाद सत्ता के विक्रेन्द्रीकरण और संघीय इकाईयों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने को सुनिश्चित करके शक्ति संतुलन के सिद्धांत को निश्चित करके संघवाद को मजबूत करता है।

6) सामाजिक न्यायः-विभिन्न धार्मिक समूहों को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग कानूनों की अनुमति और अत्यंत वंचित समूहों के लिए विभिन्न प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान उन्हें न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

7) विविधता में एकता सुनिश्चित करना :-असममित संघवाद के प्रावधान कमजोर समूहों की रक्षा करके देश की विविधता का सम्मान और संरक्षण करते है। यह विविधता में एकता सुनिश्चित करता है जिससे 'सबका साथ, सबका विकास' होता है।

8) विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करना :-यह जातीय, भाषाई या सांस्कृतिक अंतर के परिणामस्वरूप विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समाधान के रूप में कार्य करता है। असममित संघवाद ने विभिन्न राज्यों के बीच असंतोष को कम करने में मदद की है।

9) कट्टरपंथ को कम करना :-जम्मू और कश्मीर राज्य को दी गई विशेष शक्तियाँ कट्टरवाद को कम करने में मदद करती है। जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष शक्तियाँ इसलिए दी गई थी कि क्योंकि राज्य में कई विविध आबादी शामिल हैं।[14]

निष्कर्षः-

भारत के संविधान में असममित संघवाद संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है। जिन्होंने देश की विविध प्रकृति महत्त्व को पहचाना। क्षेत्रीय, भाषाई एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को अलग करके, संवैधानिक ढांचे का उद्देश्य विविधता में एकता को बढ़ावा देना है। असममित संघवाद ने विभिन्न राज्यों के बीच असंतोष को कम करने में मदद की है। इससे अल्पसंख्यक क्षेत्रों औरकम आबादी वाले क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने और उन्हें न्याय दिलाने में मदद मिली है। संविधान में ये प्रावधान मौलिक अधिकारों की रक्षा करने मेंभी मदद करते हैं। असममित संघवाद की प्रासंगिकता भविष्य में भी बनी

रहेगी क्योंकि सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विभिन्न समूहों को समायोजित करने और साथ ही उन्हें देश के शासन में हिस्सेदारी प्रदान करने में सक्षम होना होगा।[15]

संदर्भ ग्रथ सूची :-

1) https://www.dristhijudiciary.com(संविधान में असममित संघवाद)

2) https://www.drishtiias.com(भारतीय संघवाद की जटिलता)

3) https://forumias.com>flog(असममित संघवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में असममित संघवाद के महत्त्व पर चर्चा करें)

4) ''कनाडा का सर्वोच्च न्यायालय'' कनाडा की संसद 21 नवम्बर 2015 को मूल पाठ से संग्रहीत 14 दिसम्बर 2014 को लिया गया।

5) वाल्मीकि चौधरी : संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका (नेशनल हेराल्ड, नई दिल्ली, 1969) पृ. 363।

6)https://fiftytwo.in7blog (अनुच्छेद 356 क्या है?)

7) https://www.constitutionofindia(अनुच्छेद 248: विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ - भारत का संविधान)

8) https://vijiramandravi.com/quest-upse-notes/asymmetric-federalism/significance of asymmetric.federalism(असममित संघवाद)

9) https://www.drishtijudiciary-com/hin/editorial/asymmetric-Federalism-in-th-constituion(संविधान में सममित संघवाद)

10) https://fyjus.com(अनुच्छेद 371 क्या है)

11) https://vajiramandravi.com/quest.upsc-notes/asymmetric-federalism/significance of asymmetric-federalism

12) https://www.drishtijudicary.com(संविधान में असममित संघवाद)

13) https://www.kamarajiasacademy(करेंट अफेयर्स असममित संघवाद)

14) रजनी कोठारी : भारत में राजनीति (2013) ओरियंट ब्लैकस्वॉन, पृ0 201।

15) https://forumias.com/blog/answered-importance of asymmetric federalism in India (असममित संघवाद से आप क्या समझते हैं? भारत में असमित संघवाद के महत्त्व पर चर्चा करें)

16) द हिंदू (16 अगस्त, 2022)